eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 12, December 2023

मानवीय गरिमा को दृष्टिगत रखते हुये महिला एवं बाल सुरक्षा हेतु किये गये सरकारी प्रयास

[1]डा0 राजन दीक्षित
[2]डा0 कल्पना गुप्ता
[1]विभागाध्यक्ष (बी.एड.) डी0ए0वी0 कालेज, कानपुर, उ0प्र0
[2]असि0 प्रो0 (बी.एड.) डी0ए0वी0 कालेज, कानपुर, उ0प्र0

Received: 25 September 2023 Accepted and Reviewed: 15 October 2023, Published : 01 Dec 2023

Abstract

वर्तमान में महिलाओं का अनुपात कम हो रहा है हमार देश इस अनुपात के शीर्ष पर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं भारत सरकार की एक ऐसी ही महत्वाकांक्षी योजना है यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय तथा परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन मंत्रालय का एक संयुक्त प्रयास है तथा इसके तहत तीनों ही मंत्रालयों की प्रमुख जिम्मेदारियॉ सुनिश्चित की गई हैं प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं योजना की शुरूआत की। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों को **शिक्षा के द्वारा सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना एवं संरक्षण प्रदान करना है।**

मुख्य शब्द– भारतीय समाज, मानवीय गरिमा, महिला एवं बाल सुरक्षा, सरकारी प्रयास।

Introduction

भारत की 2001 में जनगणना के समय 0–6 वर्ष के बच्चों का अनुपात 1000 लड़को पर 927 लड़कियॉ थीं, जो 2011 में गिरकर 918 लड़कियॉ ही रह गयी। यूनीसेफ के ऑकड़ों के अनुसार 2012 में भारत 195 देशों की श्रेणी में 41वें स्थान पर था। **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं** योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के लिए एक सकारात्मक महौल तैयार करना व उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।

सरकार का उद्देश्य है कि भ्रूण हत्या को रोका जाये और प्रत्येक महिला के अस्तित्व की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाये। देश में महिलाओं की सुरक्षा के साथ ही उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिये यह आवश्यक है कि उन्हें शिक्षा के समान अधिकार मिले योजना का एक उद्देश्य यह भी है कि महिलाओं को शिक्षा की पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध करायें । सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारम्भ प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 में किया था वास्तव में यह योजना **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं** योजना का ही विस्तार है इस योजना के अन्तर्गत बेटी के नाम से बैंक खाता खोलने पर सबसे अधिक ब्याज मिलता है। इस खाते की परिपक्वता खाता खोलने की तिथि से 21 वर्ष या बेटी का विवाह जो भी पहले होती है। इसमें शुरूआती जमा राशि 1000 रूप्ये है जबकि अधिकतम 15 लाख रूप्ये तक जमा किया जा सकता है। बालिकाओं के माता पिता को प्रोत्साहित कर लड़कियों के लिये सकारात्मक माहौल तैयार करने वाली इस योजना को लागू किया गया। महिलाओं की सुरक्षा के

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 12, December 2023

लिये सरकार ने जुलाई 2015 में सखी या वन स्टॉप सेन्टर (ओ.एस. सी.) का आरम्भ किया इस योजना के तहत पेश की जाने वाली सेवाओं में चिकित्सीय एवं कानूनी सहायता, पुलिस सहायता, परामर्श एवं अस्थायी आश्रय शामिल है यह योजाना निर्भया खण्ड का इस्तेमाल चरणबद्ध तरीके से करती हैं।

महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से 1 अप्रैल 2016 को सरकार ने 24 घण्टे की वीमेन्स हेल्प लाइन का आरम्भ किया। यह हेल्पलाइन हिंसा से प्रभावित महिलाओ ंको अपनी रेफ्ररल सेवा प्रदान करती है। इस रेफ्ररल नेटवर्क मे ंपुलिस, अस्पताल, वन स्टॉप सेंटर आदि शामिल हैं। इसके अलावा देश भर में एक ही नम्बर 181 के माध्यम से महिलायें विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी सहित किसी भी तरह की सहायता प्राप्त कर सकती हैं, इसके अलावा महिलाओं से जुड़े सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिये ग्रामीण समन्वयकों के एक कैडर का गठन विलेज कन्वर्जेस एण्ड फेलिसिटेशन सर्विस के अन्तर्गत किया गया है।

इसी के तहत केन्द्रीय कैबीनेट ने मार्च 2015 में दिल्ली समेत 7 केन्द्रशासित प्रदेशों में महिलाओं को पुलिस बलों में शामिल करने के लिये 33 फिसदी आरक्षण को मंजूरी दी। सरकार ने केन्द्रशासित प्रदेशों में इस दृष्टि से आरक्षण अनिवार्य किया है। महिला ई–हॉट महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में सरकार का और एक प्रयास है। यह महिला उद्यमियों को स्वयं सहायता समूहों के लिये ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफार्म है। महिला उद्यमियों के वित्तीय समावेशन को बढावा देने के लिये ई–हॉट का आयोजन मार्च 2016 में किया गया। हॉट उद्यमियों एवं खरीदारों को एक ही मंच पर लाता है जिससे उनके बीच बीचौलीये समाप्त हो जाते हैं। वर्ष 2017 की शुरूआत से एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश देते हुये संस्थागत प्रसव अपनाने वाली महिलाओं को 6 हजार रू0 की आर्थिक सहायता की घोषणा की । प्रधानमंत्री के अनुसार अब देश भर की सभी 650 से ज्यादा जिलों में सरकार गर्भवती महिलाओं के अस्पताल में पंजीकरण एवं डिलीवरी, टीकाकरण और पौष्टिक आहार के लिये 6 हजार रूपये की आर्थिक मद्द करेगी।

मिशन इन्द्रधनुष महिलाओं के साथ –साथ सरकार ने बच्चों की स्वास्थ्य, सुरक्षा व बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुये कई प्रशंसनीय कदम उठाये हैं। 25 दिसम्बर 2014 को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे. पी. नड्डा द्वारा प्रारम्भ किया गया मिशन इन्द्रधनुष एक ऐसा ही अभियान है, जिसका उद्देश्य सभी बच्चों को टीकाकरण के अन्तर्गत लाना और उनसे रोग प्रतिरक्षण की प्रक्रिया को गति प्रदान करना है। इन्द्रधनुष के सात रंगो को प्रदर्शित करने वाले इस मिशन के अन्तर्गत बच्चों को सात बीमारियों जैसे – डिप्थीरिया, काली खॉसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस से रक्षा करने के लिये वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है।

24 घण्टे काम करने वाली इमरजेन्सी हेल्पलाइन 1098 भी बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में किया गया एक सरकारी प्रयास है, जिससे वर्तमान में 402 शहरों में बच्चों को मद्द मिल रही है।यह हेल्पलाइन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार सिविल सोसायटी एवं दूर संचार विभाग की संयुक्त पहल है। इसके अलावा लापता बच्चों की खोज के लिये जून 2015 में खोया पाया पोर्टल का आरम्भ किया गया। बच्चों की सुरक्षा में नागरिकों की भूमिका को ध्यान में

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 12, December 2023

रखते हुये इस पोर्टल का लॉच किया गया जिस पर लापता बच्चों के बारे किसी भी जानकारी को पोस्ट किया जा सकता है।,

इसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस मॉडल रूल 2016 (बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण के लिये किशोर न्याय आदर्श नियम–जे. जे. मॉडल रूल्स 2016) भी सरकार का एक प्रशंसनीय प्रयास माना जाता है, इसके तहत पुलिस, किशोर न्यायबोर्ड एवं बाल न्यायालय के लिये अनुकुल प्रक्रियायें निर्धारित की गई हैं, यह नियम यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी बच्चें के साथ अपराधी जैसा व्यवहार नही किया जा सकता। इसके तहत किसी भी बच्चें को न तो हथकड़ी पहनाई जा सकती है और न ही जेल या लॉकअप में रखा जा सकता है।

बच्चों एवं महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये सरकार ने अगस्त 2016 पोस्को ई बॉक्स का आरम्भ किया जोकि बाल सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है, यह बच्चों को यौन शोषण की शिकायत दर्ज करने के लिये ऑनलाइन कम्पलेन बाक्स है। बड़ी संख्या में बच्चों के साथ होने वाले यौन शोषण के मामले कभी सामने नहीं आते और पीड़ित जीवन भर के लिये आघात का शिकार हो जाता है, ऐसे में ऑनलाइन शिकायत प्रणाली पोस्को एक ई बॉक्स है जिसमें बच्चों के खिलाफ होने वाली किसी भी उत्पीड़न की शिकायत सरलता से दर्ज की जा सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. शुक्ला,पीः महिलाओं और बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास, कुरूक्षेत्र
2- https://www.pmindia.gov.in/hi/government_tr_rec
3- https://www.indiacybersquad.org/post/pocsoebox
4- https://wcd.nic.in/sites/default/files/revised%20%20Hindi%20Guideline_0.pdf